

बिहार रुरल डेवलपमेंट सोसाईटी

(ग्रामीण विकास विभाग)

संशोधित आदेश

आ0सं0 BRDS-283 /

पटना, दिनांक 08-03-2019

आ0वि0-09(BRDS)-45/2017

बिहार रुरल डेवलपमेंट सोसाईटी कर्मियों के मानदेय पुनरीक्षण से संबंधित निर्गत आदेश संख्या BRDS-1395 दिनांक 08.11.2018 के अनुलग्नक 'क' के क्रम संख्या 37 एवं 39 में टंकण भूल के कारण हुई त्रुटि को निम्नलिखित रूप से संशोधित किया जाता है:-

संशोधित मानदेय विवरणी (दिनांक 01.01.2018 से प्रभावी)													
क्र. सं.	पदनाम	Level	Location	वर्तमान कुल मानदेय	ACPI में वृद्धि अनुसार मानदेय (+@21.11% वृद्धि, औसत AICPI में 2013 से 2017 तक की वृद्धि)	पुनरीक्षित मूल मानदेय basic (80% of column 6)	म. कि भता (@ 20% of basic)	परिवहन एवं शिक्षा भता	चिकित्सा भता	संचार भता (Mobile, Internet and others)	कुल मानदेय (INR/ Month)	कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्ता का अंश दान (@12% of Basic Salary)	Total Cost to Society (Including EPF employer contribution)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	Computer Operator	L8	BLOCK	11292	13676	10900	2180	2500	1250	1250	18080	1308	19388
39	Panchayat Technical Assistant (PTA)	L9		9410	11396	9100	1820	2000	1000	1000	14920	1092	16012

- बिहार रुरल डेवलपमेंट सोसाईटी के अनुबंध कर्मियों के मानदेय एवं सुविधाओं से संबंधित पूर्व में निर्गत सभी आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।
- प्रस्ताव में सचिव, ग्रामीण विकास विभाग-सह-अध्यक्ष, BRDS का अनुमोदन प्राप्त है।

(सी0पी0 खण्डूजा)

आयुक्त मनरेगा

जापांक BRDS-283

पटना, दिनांक 08-03-2019

आ0वि0-09(BRDS)-45/2017

प्रतिलिपि- सभी संबंधित प्रभारी पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ श्री सरोज कुमार, निदेशक, ई-गवर्नेंस एवं आई0टी0, BRDS/ श्री मनोज कुमार सिन्हा, वित्त नियंत्रक, BRDS/ प्रबन्धक, आई0टी0, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

आयुक्त मनरेगा

जापांक BRDS-283

पटना, दिनांक 08-03-2019

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक/ सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

आयुक्त मनरेगा

जापांक BRDS-283 /

पटना दिनांक 08-03-2019

प्रतिलिपि- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग-सह-अध्यक्ष, बिहार रुरल डेवलपमेंट सोसाईटी, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

आयुक्त मनरेगा